

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

संख्या : 83 एम/क

दिनांक 20-01-2014

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेमर्स सैंगला सन्ना प्राइवेट लिमिटेड, चाईबासा बोकना आयरन एण्ड मैंगनीज माइन्स, रिजर्व फॉरेस्ट, सेजरी जॉन प्रखण्ड-नोतामुण्डी के लिए प्रस्तावित कुल 4.877 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि उपयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पहले वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वास्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्रामसभा को व्याख्यात कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि उपयोग के प्रस्ताव के संबंध में की गई कार्य एप लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिन जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3-(1) (b) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि उपयोग का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।



उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
शुद्धि अधिकारी
जिला स्तरीय समन्वयक समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006